न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.प्रकरण, पाली(राज.)
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली, राज.)

पीठासीन अधिकारी :- **शरद तँवर,** R.J.S
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दाण्डिक विविध जमानत प्रकरण सं. 456/2026

अशोक कुमार पुत्र मगाराम, उम्र-23 वर्ष, निवासी रतासर, पुलिस थाना बींजराड़, जिला बाड़मेर (राज.)

.... प्रार्थी/अभियुक्त

-बनाम-

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, पाली। .... अप्रार्थी

द्वितीय अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा 483 बी.एन.एस.एस.**
सेशन प्रकरण सं. **109/2024** राज. राज्य बनाम **अशोक कुमार**
सी.आर. नंबर **204/2023**, पुलिस थाना **ट्रांसपोर्ट नगर, पाली**
अपराध अन्तर्गत धारा **8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट**
व धारा 472, 201 भारतीय दंड संहिता
प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी की दिनांक 09.12.2023

उपस्थितः-
1. **श्री विशालसिंह,** अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री निखिल व्यास**, विशिष्ट लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> दिनांक 05.06.2026

1. **प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार** की ओर से जरिये अधिवक्ता इस प्रकरण में द्वितीय अंतरिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. दिनांक 30.05.2026 पेश किया गया। हस्तगत जमानत प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि विशिष्ट लोक अभियोजक को दिलाई गई। विचारण पत्रावली तलब की गई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिलेख का अवलोकन किया गया। उभय पक्षीय तर्कों पर मनन किया गया।

2. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से यह अभिवचन एवं तर्क किए गए हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त के छोटे भाई मांगीलाल का विवाह दिनांक 28.06.2026 को होना तय किया गया है। विवाह कार्यक्रम दिनांक 22.06.2026 से प्रारम्भ होकर दिनांक 29.06.2026 तक है एवं दिनांक 29.06.2026 को प्रीतीभोज का आयोजन रखा गया है। प्रार्थी अपने छोटे भाई के विवाह आयोजन में सम्मिलित होना चाहता है इसलिए उसे दिनांक 19.06.2026 से 30.06.2026 तक कुल 12 दिनों की अन्तरिम जमानत प्रदान की जावे।

3. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त अभिवचनों एवं तर्कों का विरोध करते हुए तर्क किया कि इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के सचेतन कब्जे से भारी मात्रा में कुल 14 क्विंटल 74 किलोग्राम 580 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया गया है। प्रार्थी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत तीन नियमित जमानत इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **एस बी क्रि. मिस. बेल एप्लीकेशन नं. 13513/2020 जुगल बनाम स्टेट ऑफ राज.** में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा अभियुक्त **अशोक कुमार** का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है:-

Sr. No.	*FIR No., P.S.*	*Section*	*Case No.*	*Date*	*Status*	*Date of Arrest*	*Release on any previous occasion (If any)*
	-NIL-	*-NIL-*	*-NIL-*	*-NIL-*	*-NIL-*	*-NIL-*	*-NIL-*

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड एवं उभयपक्षीय तर्कों के संदर्भ में हस्तगत प्रकरण की विचारण पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि दिनांक 08.12.2023 को पणिहारी चौराया के पास वीर तेजा होटल नेशनल हाईवे के निकट उदयसिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली मय जाप्ता द्वारा नाकाबंदी के दौरान 9.15 पीएम पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे ट्रक आर.जे. 46 जी.ए. 4771 को रोककर तलाशी लेने के दौरान उसमें प्लास्टिक के 73

कट्टों में भरा हुआ कुल 14 क्विंटल 74 किलोग्राम 580 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद किया गया। अभियुक्त के पास उक्त अवैध मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखनें अथवा परिवहन करने का कोई लाईसेंस नहीं था। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उक्त ट्रक की असली नंबर प्लेट को हटाकर उसके स्थान पर उक्त रजिस्ट्रेशन नंबर आर.जे.46 जी.ए.4771 की फर्जी नंबर प्लेट लगाकर एवं ट्रक के चेसिस नंबर घिसकर साक्ष्य मिटाने हेतु कूटरचना किया जाना दर्शाया गया है। ... इत्यादि पर मुकदम नंबर 204/2023, पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर, पाली, अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त **अशोक कुमार** के विरूद्ध **धारा 8/15, 25 एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा 472, 201 भारतीय दंड संहिता** के अन्तर्गत आरोप पत्र पेश किया गया तथा आरोपीगण नरेशपाल, रतन व अन्य के विरूद्ध धारा 173(8) द.प्र.सं. के तहत अनुसंधान लंबित रखा गया। प्रार्थी/अभियुक्त को **धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व धारा 472, 201 भारतीय दंड संहिता** का आरोप विरचित कर सुनाया गया। प्रकरण में अब तक गवाह चैनाराम पी.डब्ल्यू. 1, धुडाराम पी.डब्ल्यू. 2, जसाराम पी.डब्ल्यू. 3, उदयसिंह पी.डब्ल्यू. 4 व महेन्द्र कुमार पी.डब्ल्यू. 5 के बयान लेखबद्ध किये जा चुके हैं।

6. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा **धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व धारा 472, 201 भारतीय दंड संहिता** के गंभीर आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के तीन नियमित जमानत एवं एक अंतरिम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये गये एवं दो जमानत आवेदन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SB CRLMB No. **11949/2025** Ashok Kumar vs. State Of Rajasthan, Order dated **01.12.2025** एवं SB CRLMB No. **1027/2026** Ashok Kumar vs. State Of Rajasthan, Order dated **17-03-2026** खारिज किये जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने छोटे भाई के विवाह में सम्मिलत होने हेतु 12 दिन की अंतरिम जमानत की प्रार्थना की है जिसके संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत विवाह कार्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के छोटे भाई की शादी के लिए रीति रिवाज व रस्मों को पूर्ण करने के लिए उसके माता पिता सहित समस्त परिवार मौजूद है, प्रार्थी/अभियुक्त की इस शादी में अति-आवश्यकता नहीं है तथा अपर लोक अभियोजक द्वारा इस आशय की गंभीर आशंका प्रकट की गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त को यदि अंतरिम जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार होने की पूरी संभावना है।

7. प्रार्थी/अभियुक्त से वाणिज्यिक मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद होने के कारण धारा 37 एनडीपीएस एक्ट, 1985 के प्रावधान आकृष्ट होते हैं, जिनके अनुसार इस अधिनियम के तहत वाणिज्यिक मात्रा के संबंध में अपराध के मामले में जहां लोक अभियोजक जमानत आवेदन का विरोध करता हो, वहां अभियुक्त को जमानत या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जायेगा जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि प्रार्थी/अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किये जाने की सम्भावना नहीं है। हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष ऐसा विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार प्रकट नहीं हुआ है।

8. अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

9. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **अशोक कुमार** पुत्र मगाराम, उम्र-23 वर्ष, निवासी रतासर, पुलिस थाना बींजराड़, जिला बाड़मेर (राज.) की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एनडीपीएस प्रकरण,पाली (राज.)
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

10. आदेश आज दिनांक 05.06.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(शरद तँवर)
विशिष्ट न्यायाधीश,
एनडीपीएस प्रकरण,पाली (राज.)
(अपर सेशन न्यायाधीश, पाली)

Govind Ram Chouhan, P.A.& E.A.
"Authenticated Document"

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.05 18:35:21 IST